



Phone & Fax:- 01376-254062



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0नि0वि., चम्बा टिहरी गढवाल।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D.  
CHAMBA (TEHRI GARHWAL) PIN- 249 145

Website-http://pwd.uk.gov.in

I.D.-eicpwduk@nic.in

E-Mail- eepwdchamba@rediffmail.com

पत्रांक:- 1660/13 एम0जी0

दिनांक 29/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनीकीरेती।

**विषय:-** मा0 मुख्यमंत्री घोषणा (घो. सं. 672/2012) के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/32834/2018

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-8बी0/यू0सी0पी0/06/148/2019/एफ0सी0/2299 दिनांक 17.02.2021 एवं आपका पत्रांक 2827/12-1 दिनांक 15.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अनुपालन किया गया है :-

1- शर्त संख्या 01 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

2- शर्त संख्या 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौंपी जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

3- शर्त संख्या 03 (क) के अनुपालन में 5.18 हे0 ग्राम सौड मध्य नगेड़ सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹16,99,407.00 (रुसोलह लाख, निन्द्यानबें हजार चार सौ सात मात्र) जमा कर दी गयी है।

**संलग्न :- चालान की प्रति एवं Online Payment history made by user agency chamba**

शर्त संख्या 03 (ख) के अनुपालन में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 71/XXVI-01(2013-14) दिनांक 08 जनवरी 2024 द्वारा 5.18 हे0 सिविल भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित (प्रति संलग्न) तथा राजस्व उपनिरीक्षक काणाताल, तहसील टिहरी, टिहरी गढवाल द्वारा 5.18 हे0 सिविल भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज/इन्द्राजी/नामान्तरित कर दी गयी है (प्रति संलग्न) एवं वन क्षेत्राधिकारी सकलाना राजि चम्बा द्वारा उक्त सिविल भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है (प्रति संलग्न)। गार्ड लाइन पैरा 24 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

**कमश:-पेज 02 पर**

शर्त संख्या 03 (ग) के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

शर्त संख्या 03 (घ) के अनुपालन में रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 4- शर्त संख्या 04 के अनुपालन में प्रतिकर वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 5- बिन्दु संख्या 05 (क) के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि ₹21,29,400.00 (इक्कीस लाख, उन्नतीस हजार चार सौ मात्र) जमा कर दी गयी है।

**संलग्न :- चालान की प्रति एवं Online Payment history made by user agency chamba**

बिन्दु संख्या 05 (ख) के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 6- शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-प्रस्ताव के अनुसार 605 वृक्ष एवं 116 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे तथा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 7- बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹16,99,407.00 (सोलह लाख, निन्यानबे हजार चार सौ सात मात्र) एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि ₹21,29,400.00 (इक्कीस लाख, उन्नतीस हजार चार सौ मात्र) कुल धनराशि ₹38,28,807.00 (अड़तीस लाख, अट्ठाईस हजार आठ सौ सात मात्र) पोर्टल के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

**संलग्न :- चालान की प्रति एवं Online Payment history made by user agency chamba**

- 8- शर्त संख्या 08 में दिये गये निर्देशों का पूर्णता अनुपालन किया जायेगा।
- 9- शर्त संख्या 09 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जायेगा।
- 10- शर्त संख्या 10 के अनुपालन में आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 11— शर्त संख्या 11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 12— शर्त संख्या 12 लागू नहीं। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 13— शर्त संख्या 13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 14— शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 15— शर्त संख्या 15 के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 16— शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना की लागत पर किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 17— शर्त संख्या 17 के अनुपालन में कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- 18— शर्त संख्या 18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 19— शर्त संख्या 19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**
- 20— शर्त संख्या 20 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
- 21— शर्त संख्या 21 के अनुपालन में यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है का अनुपालन किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।  
**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

22- शर्त संख्या 22 के अनुपालन में परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :- प्रमाण-पत्र

23- शर्त संख्या 23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :- प्रमाण-पत्र

24- शर्त संख्या 24 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या (35 पृष्ठ)  
(01 मूल प्रति)  
(04 क्लर प्रति)

भवदीय,

(ई० जगदीश सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक / 13 एम०जी० तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, महोदय, टिहरी गढवाल।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी।
- 3- सहायक अभियन्ता चतुर्थ, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० चम्बा।

अधिशायी अभियन्ता

# कार्यालय- वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक- 21 / 12 दिनांक- 25 जुलाई 2024

E-mail: saktanarange111@gmail.com

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरेती, टि०ग०

द्वारा-

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग  
मुनिकीरेती, टि०ग०

विषय-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा (घो०सं०-672/2021) के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-


आपका पत्रांक- रिक्त दिनांक- 16-05-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के सापेक्ष वन विभाग को हस्तांतरित होने वाली सिविल भूमि को वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग, याचक विभाग व सम्बन्धित ग्राम वासियों के समक्ष कब्जे में ले लिया गया है, प्राप्त सिविल भूमि 12 विभिन्न खसरा न० से प्राप्त हुयी है, जिसका मैप संलग्न है। उक्त भूमि विभिन्न टुकड़ों व आवासीय क्षेत्र के समीप होने के कारण अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है। जिस हेतु भूमि का तत्काल सीमांकन व मुनारा बन्दी की जानी अति आवश्यक है।

अतः भूमि को कब्जे में लेने सम्बन्धित रिपोर्ट महोदय की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संलग्नक- 1. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट  
2. नक्शा।

  
वन क्षेत्राधिकारी  
सकलाना रेंज, चम्बा

o/c












110111



  
 व. उ. प. वि. वि. वि.  
 कार्यालय  
 जिल्हा, दिवशी  
 पत्रिका

  
 न. य. वि. वि.



24

24

Gant.

1323 (Bal)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0नि0वि., चम्बा टिहरी गढवाल।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D.  
CHAMBA (TEHRI GARHWAL) PIN- 249 145

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

I.D.-[ciepwwd@nic.in](mailto:ciepwwd@nic.in)

E-Mail- [eepwdchamba@rediffmail.com](mailto:eepwdchamba@rediffmail.com)

पत्रांक:- 369 /13 एम0जी0

दिनांक 12/02/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनीकीरेती।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा (घो. सं. 672/2012) के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/32834/2018

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-8बी0/यू0सी0पी0/06/148/2019/एफ0सी0/2299 दिनांक 17.02.2021 एवं आपका पत्रांक 2827/12-1 दिनांक 15.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अनुपालन किया गया है :-

1- शर्त संख्या 01 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

2- शर्त संख्या 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौंपी जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

3- शर्त संख्या 03 (क) के अनुपालन में 5.18 हे0 ग्राम सौड मध्य नगोड़ सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹16,99,407.00 (रुसोलह लाख, निन्यानबे हजार चार सौ सात मात्र) जमा कर दी गयी है।

**संलग्न :- चालान की प्रति एवं Online Payment history made by user agency chamba**

शर्त संख्या 03 (ख) के अनुपालन में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 71/XXVI-01(2013-14) दिनांक 08 जनवरी 2024 द्वारा 5.18 हे0 सिविल भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित (प्रति संलग्न) एवं गार्ड लाइन पैरा 24 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

शर्त संख्या 03 (ग) के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

कमश:-पेज 02 पर

शर्त संख्या 03 (घ) के अनुपालन में रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 4- शर्त संख्या 04 के अनुपालन में प्रतिकर वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 5- बिन्दु संख्या 05 (क) के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि ₹21,29,400.00 (इक्कीस लाख, उन्नतीस हजार चार सौ मात्र) जमा कर दी गयी है।

**संलग्न :- चालान की प्रति एवं Online Payment history made by user agency chamba**

बिन्दु संख्या 05 (ख) के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 6- शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-प्रस्ताव के अनुसार 605 वृक्ष एवं 116 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे तथा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 7- बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹16,99,407.00 (सोलह लाख, निचानबे हजार चार सौ सात मात्र) एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि ₹21,29,400.00 (इक्कीस लाख, उन्नतीस हजार चार सौ मात्र) कुल धनराशि ₹38,28,807.00 (अड़तीस लाख, अठ्ठाईस हजार आठ सौ सात मात्र) पोर्टल के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

**संलग्न :- चालान की प्रति एवं Online Payment history made by user agency chamba**

- 8- शर्त संख्या 08 में दिये गये निर्देशों का पूर्णता अनुपालन किया जायेगा।
- 9- शर्त संख्या 09 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जायेगा।
- 10- शर्त संख्या 10 के अनुपालन में आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 11- शर्त संख्या 11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 12- शर्त संख्या 12 लागू नहीं। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

13— शर्त संख्या 13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

14— शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

15— शर्त संख्या 15 के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

16— शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना की लागत पर किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

17— शर्त संख्या 17 के अनुपालन में कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18— शर्त संख्या 18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

19— शर्त संख्या 19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

20— शर्त संख्या 20 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

21— शर्त संख्या 21 के अनुपालन में यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है का अनुपालन किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

22— शर्त संख्या 22 के अनुपालन में परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।



**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

23— शर्त संख्या 23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्न :- प्रमाण-पत्र**

- 24— शर्त संख्या 24 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

  
(ई० जगदीश सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता  


पत्रांक 369 / 13 एम०जी० तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1— जिलाधिकारी, महोदय, टिहरी गढवाल।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता, 8व् वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी।
- 3— सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० चम्बा।


अधिशाली अभियन्ता


वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किये जाने का  
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-01 में निहित शर्त के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।





## गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-02 में निहित शर्त के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौंपी जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

## AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-07-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6132834182
State Code.	UK
Address.	Yamuna Colony DehradunDehradun
Amount(in Rs)	3828807/-

Amount in Words :Thirty-Eight Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Seven Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6132834182
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-07-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6132834182
State Code.	UK
Address:	Yamuna Colony Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	3828807/-

Amount in Words :Thirty-Eight Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Seven Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6132834182
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [ubicampa@unionbankofindia.com](mailto:ubicampa@unionbankofindia.com)



PARIVESH  
परिवेश

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtual and E-Infrastructure Sing window Hub"

My Account - My Proposals Environment Clearance - Only CBZ Clearances - My Proposals Forest Clearance - My Proposals Wildlife Clearance - Help

12:13:52 PM

Help

S.No.	Proposal Detail	Application No. (View)	Date of In. PA/CA/CI/SA	Amount to be Paid/Received (₹/₹/-)	Payment Status	Fund Demand Verified by	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/21726/2016 Construction of Thangshar Thauldhar Mular Road	5121726258	04 Apr 2022	CA: 244882/- PCA: 0/- Safety Zones: 0/- Addl PA: 366854/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 611696/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid 0/- 0/- 0/-	Fund Demand Verified by Modal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date : 16 Jun 2022 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) : 03 Aug 2022 : 05 Aug 2022	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/32834/2018 Construction of Charan Misore Mular Road in Place Koradi to Rudhargadh Sangoon Mular Road	5132834182	17 Feb 2021	CA: 169907/- PCA: 0/- Safety Zones: 0/- Addl PA: 212990/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 382897/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid 0/- 0/- 0/-	Fund Demand Verified by Modal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date : 28 Jul 2021 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) : 28 Jul 2021 : 29 Jul 2021	Demand Letter Superseded Challan

::आदेशः

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या:-8बी/यू0सी0पी0/06/148/2019/एफ0सी0/2299 दिनांक: 17.02.2021 की शर्त संख्या:03(क) के अनुपालन में विकासखण्ड चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.52 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.18 हे0सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक 904/आर. ए-भूमि हस्ता0(2023-24) दिनांक: 23.12.2023 के द्वारा तहसील टिहरी के ग्राम नगेड़ दाव्या पट्टी बमुण्ड की भूमि प्रस्तावित की गयी है,जिसका विवरण निम्नवत है:-

ग्राम	पट्टी	खाता सं०	खसरा सं०	याचित रक्बा (हे०मे)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
नगेड़ दाव्या	बमुण्ड	08	36	0.519हे०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)डं. बंजर भूमि
			39	0.665हे०	
			77	0.514हे०	
			150	0.710हे०	
			216	0.296हे०	
			219	0.097हे०	
			223	0.321हे०	
			1301	0.201हे०	
			1306	0.329हे०	
			1326	0.346हे०	
			1406	0.846हे०	
			1484	0.336हे०	
कुल 12 खसरा				5.18हे०	

प्रस्तावित काणाताल से अधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882/XXIII(II)/11-18(120)/2010 दिनांक: 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्या: 2365/XXIII(II)/13-18 (120)/2010

टी0सी0 दिनांक: 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:2173/XXIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक:17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा-5.18 हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार टिहरी तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

Signed by Mayur Dixit

Date: 08-01-2024 15:49:17

(मयूर दीक्षित)

जिला अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 71 / XXVI-01 (2013-2014) दिनांक नई टिहरी दिसम्बर 08, 2024  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:-सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2:-सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3:-आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
- 4:-आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5:-नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6:-प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी।
- 7:-अधिसासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, चम्बा।
- 8:-उप जिलाधिकारी टिहरी।
- 9:-तहसीलदार टिहरी।

अधिकारी,


जिला


टिहरी गढ़वाल।


विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने  
सम्बन्धी प्रक्रिया किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार  
गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-03 (ख) में  
निहित शर्त के अनुपालन में ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं  
प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के  
पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927  
के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने  
सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-03 (ग) में निहित शर्त के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
वन क्षेत्राधिकारी  
सकलाना राजि चम्बा  
वन क्षेत्राधिकारी  
सकलाना रेंज  
चम्बा (दि0 ब0)


रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र



परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-03 (घ) में निहित शर्त के अनुपालन में रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
वन क्षेत्राधिकारी  
सकलाना राजि चम्बा  
  
वन क्षेत्राधिकारी  
सकलाना राजि  
चम्बा (टि0 ग0)





प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जाने का  
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार  
गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-04 में  
निहित शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित  
मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन  
की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा  
किया प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में  
भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान  
शामिल किये जा सकते हैं।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि  
जमा किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार  
गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-05 (ख) में  
निहित शर्त के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है,  
तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


वन विभाग को पेडों की कटाई की लागत जमा किये जाने का  
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-06 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-प्रस्ताव के अनुसार 605 वृक्ष एवं 116 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे तथा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या  
बढायी जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार  
गढी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-10 में  
निहित शर्त के अनुपालन में आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों  
किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


## गति विनियमन साईनेज लगाये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-11 में निहित शर्त के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


परियोजना का नाम :-


चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार  
गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-12

लागू नहीं।

  
कनिष्ठा अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


## परियोजना का ले आउट प्लान नही बदले जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-13 में निहित शर्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नही बदला जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


## लेबर कैम्प नही लगाये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-14 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।





## निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-15 में निहित शर्त के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


## सीमांकन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-16 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना की लागत पर किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने का  
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-18 में निहित शर्त के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


भूमि अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं  
किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार  
गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-19 में  
निहित शर्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु  
प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग  
अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


## वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित हेतु प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-21 में निहित शर्त के अनुपालन में यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है, का अनुपालन किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशर्षी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


## मलवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-22 में निहित शर्त के अनुपालन में परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।


अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश लागू होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-23 में निहित शर्त के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा  
टिहरी गढवाल।